राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2173 / 2015

डॉ. अतुल कुमार जलवानिया

–अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री शोभित व्यास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 21.04.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया।

2. इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गए हैं कि अपीलार्थी संयुक्त निदेशक, जॉन भरतपुर के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। अपीलार्थी की नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर के पद पर अक्टूबर, 1973 में हुई थी। आदेश दिनांक 19.10.2006 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन संयुक्त निदेशक, जॉन भतरपुर के पद पर किया गया। यहां उन्होंने दिनांक 10.11.2006 को पदभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2008 को हुई थी। नॉटिफिकेशन दिनांक 06.04.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा संशोधन वेतनमान नियम–2008 में संशोधन किया गया, जो कि दिनांक 01.01.2006 से लागू किया गया। उक्त नॉटिफिकेशन दिनांक 06.04.2013 की पालना में अपीलार्थी का वेतन संशोधित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> It is, therefore, humbly prayed that this Hon,ble Tribunal may kindly allow the appeal of the appellant and the respondents may be directed to give the benefits of running pay band - IV, 37400 - 67000 with grade pay of Rs. 8700/- w.e.f 01/01/2006 in view of the 6th pay commission to the appellant and the same may be

given the arrear,of pension, gratuity and commutation after issuance of revised PPO, GPO and CPO along with interest at the rate of 24% per annum from the date it was due to the date of realization.

Any other appropriate order or directions which this Hon,ble Tribunal may deem just fit and proper in the facts and circumstances of case may kindly be passed in favour of the appellant. Appeal may be allowed with cost.

3. प्रत्यर्थी विभाग को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कई बार अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। दिनांक 21.09.2021 को जवाब प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, परंतु अब तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. अधिवक्तागण को गुणावगुण पर सुना गया। स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2008 को हुई थी, एवं वेतनमान में संशोधन करने के लिए जो नॉटिफिकेशन दिनांक 06.04.2013 को जारी किया गया, वह दिनांक 01.01.2006 को लागू किया गया। अर्थात् 01.01.2006 से वेतन में संशोधन का लाभ अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वो राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम–2008 में किये गए संशोधन, जो दिनांक 01.01. 2006 से लागू किये गए हैं, उसका लाभ अपीलार्थी को प्रधान किये जावें एवं उक्तानुसार अपीलार्थी को वेतन संशोधन कर उसे एरियर, पेंशन, ग्रेचुटी का लाभ एवं अन्य समस्त लाभ प्रदान किये जावें। साथ ही पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ आदेश भी संशोधित किये जावे। अपीलार्थी को बकाया देय एरियर, पेंशन एवं ग्रेचुटी की राशि मय अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 24.08.2015 से 6 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)